भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय
....
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-927
8 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

कोयला-आधारित विद्युत संयंत्रों को बंद करना

927. श्री विष्णु दयाल राम:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने खतरनाक पदार्थों के सुरक्षित प्रबंधन, संचालन और निपटान के लिए कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों को बंद करने और बंद किए गए ताप विद्युत संयंत्र स्थलों को नष्ट करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान बंद किए गए कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों का झारखंड सहित राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के बंद होने के बाद अपनी नौकरी खो चुके श्रमिकों और नैमित्तिक कामगारों के पुनर्वास के लिए कोई कार्रवाई की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : खतरनाक पदार्थों के सुरक्षित प्रबंधन, हैंडलिंग और निपटान और स्क्रैप किए गए ताप विद्युत संयंत्रों को नष्ट करने और निपटान के लिए, ताप विद्युत संयंत्र (टीपीपी) से विभिन्न नियमों और विनियमों, दिशानिर्देशों का पालन करने की अपेक्षा है जैसे: -

I. जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1976 और वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत लागू पर्यावरणीय मानदंडों का अनुपालन।
II. खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 और ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2022 का अनुपालन।
III. कारखाना अधिनियम-1948 का अनुपालन।

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार उत्पादन एक गैर-लाइसेंसीकृत गतिविधि है। कोयला आधारित ताप यूनिट को बंद करने और उन मजदूरों और आकस्मिक श्रमिकों के पुनर्वास करने का निर्णय, जो कोयला आधारित संयंत्र के बंद होने के बाद अपनी नौकरी खो सकते हैं, विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा अपने स्वयं के तकनीकी-आर्थिक और वाणिज्यिक विचारों और पर्यावरणीय कारणों के आधार पर लिया गया है। सामान्य तौर पर, कोयला आधारित इकाई के बंद होने के बाद, जो मजदूर और आकस्मिक श्रमिक अपना काम खो सकते हैं, उन्हें मामला-दर-मामला आधार पर यूटिलिटी के अन्य उपलब्ध कार्यों में फिर से नियोजित किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों में अर्थात् दिनांक 01.01.2021 से 31.01.2024 तक झारखंड सहित 2344 मेगावाट क्षमता की 19 कोयला आधारित इकाइयों की कार्यावधि समाप्त हो चुकी हैं। अभ्यर्पित कोयला आधारित इकाईयों की राज्य-वार सूची **अनुबंध** पर दी गई है।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने सभी ताप विद्युत यूटिलटियों को एक एडवाइजरी जारी की है कि वे वर्ष 2030 से पहले अपने कोयला आधारित विद्युत स्टेशनों (200 मेगावाट से अधिक क्षमता वाली इकाइयों) का अभ्यर्पण या पुनर्उपयोग न करें और भविष्य में अपेक्षित ऊर्जा मांग परिदृश्य और क्षमता की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, यदि आवश्यक हो तो, नवीकरण तथा आधुनिकीकरण (आरएंडएम) गतिविधियां करने के बाद ताप इकाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करें।

लो.स.अता.प्र.सं. 927

अनुबंध

पिछले तीन वर्षों में अभ्यर्पित कोयला आधारित ताप विद्युत यूनिटों की सूची
(दिनांक 01.01.2021 से 31.01.2024 तक)

क्रम सं.	स्टेशन/संयंत्र का नाम	राज्य	ईंधन	यूनिट सं.	यूनिटों की सं.	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	अभ्यर्पित (मेगावाट)	को अभ्यर्पित
1	बोकारो ``बी" टीपीएस	झारखण्ड	कोयला	3	1	210 (1*210)	210	01.04.2021
2	कोरबा-III	छत्तीसगढ़	कोयला	1,2	2	240 (2*120)	240	01.01.2021
3	तालचेर (पुरानी) टीपीएस	ओडिशा	कोयला	1,2,3,4,5,6	6	460 (4*60+ 2*110)	460	01.04.2021
4	कोराडी टीपीएस	महाराष्ट्र	कोयला	7	1	210 (1*210)	210	02.09.2021
5	मुजफ्फरपुर टीपीएस	बिहार	कोयला	1,2	2	220 (2*110)	220	31.01.2022
6	बंदेल टीपीएस	पश्चिम बंगाल	कोयला	1	1	60(1*60)	60	28.03.2022
7	कोलाघाट टीपीएस	पश्चिम बंगाल	कोयला	1,2	2	420 (2*210)	420	28.03.2022
8	उबरा टीपीएस	उत्तर प्रदेश	कोयला	7	1	94 (1*94)	94	13.10.2022
9	दुर्गापुर टीपीएस	पश्चिम बंगाल	कोयला	4	1	210 (1*210)	210	19.12.2022
10	पारीछा टीपीएस	उत्तर प्रदेश	कोयला	1,2	2	220 (2*110)	220	11.10.2023
कुल					19		2344	

****